



क्र./शापॉखै/शैक्षणिक/2023/134

खैरागढ़, दिनांक 21/07/2023

—: आदेश :-

संचालनालय तकनीकी शिक्षा छ.ग. के पत्र क्र./तक.शि./बजट/2016/476 नया रायपुर दिनांक 31.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय शुल्क एवं अन्य अशासकीय शुल्क के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नानुसार शुल्क देय होगा :-

//तालिका-01 : संस्था में देय शुल्क//

स.क्र.	शुल्क का विवरण		प्रथम एवं तृतीय (लेटरल एंट्री) सेमेस्टर में नवीन प्रवेश हेतु	तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में (Existing) प्रवेश हेतु
1.	शासकीय शुल्क	शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	5000	5000
2.	अशासकीय शुल्क	Caution Money	1000	-----
		Amalgamated Fund (Including All Fee)	1500	1500
3.	विश्वविद्यालयीन शुल्क	University Fee	90	90
		University (विश्वविद्यालय को प्रेषित शुल्क)	150	150
		Sports Fee (संस्था में रखे जाने वाली शुल्क)	30	30
<b>Total Fees</b>			<b>7770</b>	<b>6770</b>

// तालिका-02 //

स.क्र.	प्रवर्ग	वार्षिक आय समस्त स्रोतों से	शिक्षण शुल्क
1.	अनारक्षित	-----	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके पिता/अभिभावक की आय	रु. एक लाख तक	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. एक लाख से अधिक	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता पिता/अभिभावक की आय	रु. दो लाख पचास हजार तक	शिक्षण शुल्क देय नहीं (प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से होती है।)
		रु. दो लाख पचास हजार से अधिक	पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगा।
4.	सभी प्रवर्ग के छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क रु. 5000/- भुगतान से छूट होगी। विश्वविद्यालयीन एवं अशासकीय शुल्क देय होगी।		

// तालिका-03 : विश्वविद्यालय को देय शुल्क //

क्र.	शुल्क का विवरण	शुल्क	अभियुक्ति
1	University Development Fees	रु. 400/- प्रति वर्ष	सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देय
2	Student Welfare Fees	रु. 1/- प्रति वर्ष	सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देय
3	Central Library/E-Library/E-Learning Fees	रु. 400/- प्रति वर्ष	सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देय
4	Training and Placement Fees	रु. 125/- प्रति वर्ष	सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देय
5	Enrollment Fees/Registration Fees	रु. 1500/- एक बार	सभी छात्र/छात्राओं द्वारा देय
6	Migration Fees	रु. 500/- एक बार	केवल अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से आए छात्र/छात्राओं द्वारा देय

- टीप :- (1) शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु छात्रों को अनिवार्यतः निर्धारित प्रपत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति की प्राप्ति उपरांत शिक्षण शुल्क राशि रु. 5000/- छात्रों को देय होगा।  
(2) वर्ष 2023-24 के लिये शासन द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह लागू होगा।

प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़

पृ. क्र./शापॉखै/शैक्षणिक/2023/135

खैरागढ़, दिनांक 21/07/2023

प्रतिलिपि : निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
- लेखा शाखा, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ को सूचनाार्थ।
- ग्रंथालय अनुभाग, शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़।
- सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- मास्टर फाईल।

प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़